(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 250 / 2022

महेश पुत्र महाबीर प्रसाद सैनी, निवासी वार्ड नं0 24, मुनि आश्रम के पीछे, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं पिन कोड 333001 मो0नं0 9899810144

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 250 / 2022 पर दिनांक 18.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 3586—87 दिनांक 18.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 786 दिनांक 03.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आरटीआई इस कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र के संबध में चाही गई थी। उक्त आरटीआई का जबाव ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रार्थी को दिया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 786 दिनांक 03.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आरटीआई उनके कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र के संबध में चाही गई थी। उक्त आरटीआई का जबाव ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रार्थी को दिया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यह[illegible] कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.08.[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं